इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९६९

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

कुं० दया शंकर ई० एम० इण्टर कालेज, बरेली ।

संख्या .... Anil Kumar Gupta दिनांक 14-6-69 / 22-6-69

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी .... अनिल कुमार गुप्ता .... अनुक्रमांक ....

द्वारा परिषद का इण्टरमीडिएट परीक्षा १९६९ में विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गये अंकों का विवरण :

वर्ष ......[illegible]......

परीक्षार्थी द्वारा लिए गए विषय	विषय के निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	अंकयोग	क्रियात्मक	वाणिज्य प्रथम: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी	वाणिज्य प्रथम: टंकण: लिखित	वाणिज्य प्रथम: टंकण: क्रियात्मक	वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: द्वितीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: अंकयोग	वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: द्वितीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: तृतीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: चतुर्थ प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: अंकयोग	विषय योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
सामा० हिन्दी	१००	११	१४	२०	४५	—												४५
भौ० विज्ञान	१००	१२	१२	—	२४	२५												४९
रसा० विज्ञान	१००	१५	१५	—	३०	१८												४८
गणित	१००	२७	२७	३०	८४	—												८४
अंग्रेजी	१००	१२	१४	२६	५२	—												५२

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अंकों में : २७८ - दो सौ अठत्तर

परीक्षाफल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी या अनुत्तीर्ण)	[illegible]	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहां उल्लेख कीजिये	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है ? यदि हाँ तो विषय	क्या निःशुल्क अंक-पुनर्योग का अधिकारी है?
द्वितीय	—	गणित	—	—	—

नोट :—प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं इसकी जाँच परीक्षार्थी नीचे दिए नियमों के आधार पर स्वयं भी करलें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करा लें अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकती है, जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिषद कार्यालय में जाँच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायेगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायेगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को उसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

(१) प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है, उनमें लिखित क्रियात्मक परीक्षा के लिए अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।

(२) उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक से कम नहीं होने चाहिये। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर प्राप्तांक वृत्त के भीतर लिये जाते हैं।

(३) किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

(४) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

(५) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय में पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

(६) पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वह परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २० प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं वे पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर पुस्तकों का अंकपुनर्योग निःशुल्क होगा।

बनाने वाले के हस्ताक्षर ....

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर .... [कृपया पता दर्शाइये]

PRINCIPAL ... Inter College

प्रधानाचार्य